न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 105/2022

1. देवीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 केएलडी खाजूवाला बीाकनेर

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

–: आदेश :– दिनांक :– 12.06.23

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 40 केजेडी का मु0नं0 67/32 में कुल 13.00 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मुझ प्रार्थी के आने जाने में काफी दिक्कत व परेशानी होती है इसलिए मैं प्रार्थी चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/27 के किला नं0 21 ता 25 व मु0नं0 68/35 के किला नं0 21 ता 25 में कटानशुदा रास्ता उपलब्ध करवाना चाहता हूँ। उक्त भूमि मौका पर अराजीराज है मुझ प्रार्थी उक्त भूमि के किलो में कटानशुदा रास्ता उपलब्ध हो जाता है तो प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आसानी से आ जा सकता है। प्रार्थी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैं प्रार्थी अराजीराज भूमि के किला में कटानशुदा रास्ता उपलब्ध करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट 8 दिनांक 02.06.23 अनुसार प्रार्थी देवीलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 2 केएलडी के खातेदार मु0नं0 67/32 किला नं0 1 ता 13 से मुख्य मार्ग तक पहुँच हेतु आवश्यक कटानी मार्ग से जुड़ने हेतु मु0नं0 68/27, 35 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता कटवाने के आवेदन की जाँच रिकॉर्ड व मौका से की गई व पाया कि प्रार्थी के खेत को लगने वाला कटानी मार्ग मु0नं0 68/29 पर जाकर बन्द होता है। मुख्य मार्ग तक पहुँच नहीं है जबकि आबादी से मु0नं 68/41 तक किला नं0 1,0,11,20,21 का ग्रेवल मार्ग चालू है। इन दोनो मार्गो को जोड़ने के लिए चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/27 किला नं0 24, 25 व मु0नं0 68/35 के किला नं0 21 ता 25 (समस्त अराजीराज) कटान प्रस्तावित करने पर मु0नं0 68/27 किला नं0 21 ता 23 (गै.मु. आबादी) से होते हुए दोनों मार्ग कटान से जुड़ जाएगें व मु0नं0 67/32, 67/24, 68/17,25,18,26,19,28,21,29 के समस्त काश्तकार मुख्य मार्ग से जुड़ सकेगें। बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/27 के किला नं0 24 ता 25 व मु0नं0 68/35 के किला नं0 21 ता 25 में स्थायी सार्वजनिक रास्ता तहसीलदार रिपोर्ट तथा **राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 में समस्या सं0 1 समाधान में लिखा है कि "राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय और/व निजी भूमियों में से चालू है किंतु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है। स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे हैं जो बारहमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध हैं। ऐसे रास्तों का राजस्व में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, एवं 86 के प्रावधानुसार किया जावेगा।**

यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। निरीक्षण भू– अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे। उपखण्ड अधिकारी के आदेश पर नामान्तरण के जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा। प्रार्थना पत्रों की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबन्दी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी '' के आधार स्वीकार करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार खाजूवला की रिपोर्ट नजरी–नक्शा के आधार पर व राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि चक 40 केजेडी के मु0नं0 68/27 के किला नं0 24 ता 25 व मु0नं0 68/35 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा तथा तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)